

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 6(सू0अधि0)-18/2016/538 /ग्रा0वि0,राँची, दिनांक-01-02-16
प्रेषक,

सियाशरण धनबाद,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

सेवा में,

उपायुक्त, धनबाद।

speed
post

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री अशोक कुमार सिंह, धनबाद के आवेदन पत्र दिनांक-04.06.2015 के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक- 2991 (अनु0) दिनांक- 19.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आवेदक श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, धनबाद के आवेदन पत्र दिनांक-04.06.2015 द्वारा मांगी गयी सूचना को क्रमांक 1 से क्रमांक 9 तक की सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आपको अंतरित किया गया था।

अनुरोध है कि आवेदक को प्रेषित सूचना की प्रतिलिपि/छायाप्रति इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकार

SPEED
POST

ज्ञापांक :- 6(सू0अधि0)-18/2016/538 /ग्रा0वि0,राँची, दिनांक-01-02-16
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस विभाग के पत्रांक-2995 (अनु0) दिनांक-19.06.2015 के आलोक में आवेदक को उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रतिलिपि/छायाप्रति इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकार